बाल अधिकारों के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन में पुरुषों की जिम्मेदार पिता के रूप में भूमिका

(राज्य स्तरीय नियोजन बैठक मध्य प्रदेश)

दिनांक 7 सितम्बर 2012 स्थान : गांधी भवन, भोपाल (मध्य प्रदेश)

बाल अधिकार के संरक्षण और सम्वर्द्धन में पुरुषों की जिम्मेदार पिता के रूप में भूमिका और मध्य प्रदेश में बाल अधिकारों के परिदृश्य और मुद्दों को केन्द्रित कर राज्यस्तरीय नियोजन बैठक का आयोजन दिनांक 7 सितंबर, 2012 को गांधी भवन भोपाल में आयोजित किया गया। इस एक दिवसीय नियोजक बैठक में विभिन्न पृष्ठभूमि एवं संगठनों से 19 लोगों ने भागीदारी की। भागीदारों के बारे में विवरण निम्नानुसार था –

क्रम	श्रेणी	प्रतिभागी
1.	साझीदार परियोजना	2
2.	पैक्स पार्टनर्स	3
3.	फेमिनिस्ट	2
4.	सी.एच.एस.जे.	3
5.	बाल अधिकार संदर्भ समूह	1
6.	बाल एवं मानवाधिकार संगठन	8
	कुल	19

इन संगठनों के चयन में रणनीति ये रखी गई थी कि ऐसे संगठनों/समूहों की साझीदारी सुनिश्चित की जाए जो

1. बाल अधिकारों, महिला अधिकारों, मानवाधिकार/दलित अधिकार, नारीवादी संगठन/ समूह एवं वे समूह या संगठन जो जेण्डर समानता या महिला अधिकार के मुद्दे पर पुरुषों के साथ काम करते हो

2. ऐसे संगठन या समूह जोड़े जाए जिनकी अभिरूचि बाल अधिकारेां के संरक्षण में पुरुषों के साथ पहल में हो और साझेदारी से काम करने की संभावनाएँ हो

3. ऐसे क्षेत्रों के संगठन या समूह जोड़े जायें जहाँ सी.एच.एस.जे. और या सी.एच.एस. जे. पार्टनर्स की उपस्थिति है जिससे साझे कैम्पेन को खड़ा किया जा सके।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सी.एच.एस.जे., साझीदार परियोजना के अन्तर्गत दो सहयोगी (पार्टनर) संगठनों धरती सामाजिक संस्था एवं ग्राम सुधार समिति के माध्यम से क्रमशः जनपदो मोरेना और सीधी में महिला स्वास्थ्य अधिकार और जेण्डर समानता के मुद्दे पर पुरुषों के साथ पहल कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के तीन जनपदों बेतूल, छिन्दवाड़ा और रायसेन में तीन पार्टनर संस्थाओं क्रमशः प्रदीपन, सत्यकाम जन कल्याण समिति और के.एस.एस. के माध्यम से एन.आर.एच.एम. एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की वंचित समुदाय के महिलाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य सी.एच.एस. जे. पैक्स परियोजनान्तर्गत टेक्निकल पार्टनर है। अतः इन पाँचों पार्टनर संगठनों की परिधि के जनपदों एवं संस्थाओं के माध्यम से बाल अधिकार संरक्षण के मुद्दे पर पुरुषों की जिम्मेदार पिता की भूमिकाओं को तलाशने, उभारने और क्रियाशील करने के लिए मध्यप्रदेश में सम्भावनाओं को रणनीति बनाया गया।

प्रस्तुत नियोजन बैठक के पूर्व मध्य प्रदेश की ओर से "बाल अधिकार संरक्षण में पुरुषों की पिता के रूप में भूमिका" राष्ट्रीय परामर्श में शिरकत करने आये श्री देवेन्द्र भदौरिया (सचिव, धरती संस्था, मोरेना एवं पार्टनर सी.एच.एस.जे.) तथा श्री करन झारे (प्रदीपन, बेतूल एवं पार्टनर पैक्स परियोजना) ने संयुक्त रूप से जिम्मेदारी ली थी कि बाल अधिकार संरक्षण में पुरुषों की पिता के रूप में भूमिकाओं पर मध्य प्रदेश में अभियान चलाने के लिए प्रयास करेगें। राष्ट्रीय परामर्श के बाद दिनांक 10 जुलाई को 19 शिरकतदारों के साथ एक छोटी बैठक की गई थी। इस बैठक में पुरुषों के साथ भारत में और अन्य देशों में 'मैसवा' उत्तर प्रदेश की पहल और सी.एच.एस.जे. के द्वारा जेण्डर समानता और महिला स्वास्थ्य अधिकारों की दिशा में किए गए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश प्रयासों, सफलताओं और सीखों को साझा किया गया। इन अनुभवों के क्रम में बाल अधिकार संरक्षण में पुरुषों की पिता के रूप में भूमिका की संकल्पना को भी साझा किया गया। इस बैठक में प्रमुख रूप से फॉलोअप में 3 निर्णय किए गए –

1. बाल अधिकार संरक्षण में पुरुषों की पिता के रूप में भूमिकाओं पर मध्यप्रदेश में एक अभियान खड़ा करने की जरूरत है और हम इस पर कार्य करने के लिए तैयार है

2. इस मुद्दे को लेकर राज्य स्तर पर एक परामर्श किया जाए जिसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को शामिल किया जाए।

3. प्रदेश में संचालित होने वाले इस अभियान का राज्य में नेतृत्व सुनिश्चित किया जाय (कैम्पेन लीडरशिप)। इसके मध्य नजर एक 7 सदस्यीय कार्यकारी टीम का गठन किया गया।

राज्य स्तर के परामर्श के लिए दिनांक 7 सितंबर 2012 की तिथि तय की गई ओर श्री देवेन्द्र भदौरिया जी ने सम्पर्क और सूचनाओं की जिम्मेदारी ली।

संवादों, गोष्ठियों एवं बड़े परामर्शों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए परामर्श संवाद की जगह एक दिवसीय नियोजन बैठक का आयोजन चुनिन्दा संस्थाओं/संगठनों के प्रति

निधियों के साथ किया गया। बड़े परामर्शों की सीमा ये होती है कि उसमें विचार बहुत आते हैं अनुभवों की साझेदारी होती है पर कुछ ठोस आगे के लिए नहीं निकल पाते है। अतः एक दिवसीय नियेाजन बैठक आयोजित की गई जिसकी प्रक्रियायें ओर परिणाम निम्नानुसार हैं।

पंजीकरण की प्रक्रिया के बाद सी.एच.जे. की ओर से सभी प्रतिभागियों का अनौपचारिक स्वागत वीरेन्द्र राय ने किया और बैठक की औपचारिक शुरुआत और स्वागत के लिए श्री देवेन्द्र भदौरिया जी को आमन्त्रित किया। इस तरह नियोजन बैठक की शुरुआत प्रातः करीब 11 बजे श्री देवेन्द्र भदौरिया के स्वागत सम्बोधन से शुरू हुई।

स्वागत के उपरांत वीरेन्द्र राय के आहवान पर प्रतिभागियों ने आपसी परिचय किया और वीरेन्द्र जी ने बैठक उद्देश्य स्पष्ट किए जो निम्नानुसार थे –

1. ऐसी संस्थाओं/समूहों/संगठनों की साझेदारी से राज्य स्तरीय नियोजन बैठकों का आयेाजन करना जिनके साथ पुरुषों की पिता के रूप में भूमिकाओं पर संयुक्त पहल की सम्भावनायें हैं

2. राज्य स्तर पर पहल को आगे ले जाने के लिए एक कोर ग्रुप का निर्माण करना जो राज्य में इस पहल को अभियान के रूप में विकसित कर सकते हैं और राज्य स्तर पर नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन करेंगे

3. राज्य में बाल अधिकारों का परिदृश्य, होने वाले सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप/कार्य एवं विभिनन मुद्दे जिन पर प्रभावी कार्य की जरूरत है इसका निर्धारण करना

4. राज्य स्तर पर पहल की रूप रेखा, नियोजन, समन्वयन एवं ढ़ाँचे पर चर्चा करना।

उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के पश्चात जेण्डर समानता एवं महिला हिंसा तथा महिला स्वास्थ्य अधिकारो पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सी.एच.एस.जे. के अनुभव एवं सफलताओं को साझा करेन तथा बाल अधिकार संरक्षण में पुरुषों की पिता के रूप में भूमिकाओं की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए श्री सतीश सिंह को आमन्त्रित किया गया।

जेण्डर समानता एवं महिला हिंसा को केन्द्रित कर मैसवा की वर्ष 2002 से लेकर 10 वर्षों की यात्रा एवं अनुभवों को साझा करते हुए श्री सतीश सिंह ने बताया कि मैसवा की शुरुआत इस उद्देश्य को लेकर हुई थी महिलाओं ने विरुद्ध हिंसा के मुद्दों पर संवेदित पुरुषों का समूह विकसित किया जाए। संकल्पना ये भी कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और जेण्डर असमानता में पुरुष प्रमुख रूप से जिम्मेवार है परन्तु सारे पुरुष हिंसक नहीं है। हिंसा और भेदभाव सामाजीकरण की प्रक्रिया के तहत पुष्पित पल्लवित होता है जिसमें पितृसत्ता प्रमुख भूमिका अदा करती है। बहुत सारे सामाजिक

रीति रिवाज और चालू मूल्य/मान्यतायें और सामान्य सामाजिक सोच, जेण्डर असमानता और हिंसा को पितृसत्तात्मक ढाँचे को आगे बढ़ाता रहता है। मैसवा के साथ कार्य के अनुभव और नारीवादी समूहों के कार्य के अनुभवों से सीख मिली की सभी पुरुष हिंसा के पक्षधर नहीं हैं और असमानता भी नहीं चाहते पर सामाजिक ढाँचे के दबाव में खुलकर हिंसा और गैरबराबरी का विरोध नहीं कर पाते और चुप्पी साधे रहते हैं। अतः मैसवा ने चुप्पी तोड़ों का नारा दिया और हिंसा तथा गैर बराबरी के खिलाफ अभियान चलाए। मैसवा की सोच में था कि पुरुषों में सकारात्मक बदलाव के जरिए जेण्डर समानता आ सकती है और महिलाओं के ऊपर हो रही हिंसा पर लगाम लगाई जा सकती है। इन संकल्पनाओं पर उत्तर प्रदेश में जो कार्य किए गए उनसे अनुभव हुआ कि पुरुष बदले हैं और उन बदलावों को उनके घरों, नजदीक के लोगों, उनकी पत्नी, बच्चों खासकर लड़कियों के वक्तव्यों के आधार पर आँकलन किया गया।

इन्हीं सीखों के आधार पर महाराष्ट्र में सी.एच.एस.जे. ने पाँच (5) संस्थाओं की साझेदारी से करीब 125 गाँवों में महिला स्वास्थ्य अधिकार और जेण्डर समानता के मुद्दों पर कार्य किया। महाराष्ट्र में किए गए कार्यों से पुरुषों के अंदर बदलाव को देखा गया जिनमें से 5 सत्य घटनाओं को फिल्म के रूप में संकलित किया गया है।

इसके प्रश्चात सी.एच.एस.जे. द्वारा संकलित पाँचो घटनाओं पर आधारित फिल्म देखी गई और उनकी समीक्षा की गई।

महिला जेण्डर समानता एवं महिला स्वास्थ्य अधिकार संरक्षण तथा महिला हिंसा के विरुद्ध पुरुषों की पहल के अनुभवों को आधार बनाकर बाल अधिकारों के संरक्षण में पुरुषों की पिता के रूप में भूमिकाओं को सामने लाने के उद्देश्य से पितृत्व अभियान (फादर्स केयर) की संकल्पना की गई है। इस संकल्पना का प्रमुख अंश ये है कि बाल अधिकार संरक्षण की प्रकुख जवाबदेही (पब्लिक एकाउण्टेबिलिटी) राज्य की है परन्तु सामाजिक जवाबदेही के प्रमुख किरदार के रूप में पुरुषों की जिम्मेदार पिता के रूप में भूमिका को सी.एच.एस.जे. देखता है। सी.एच.एस.जे. का मानना है कि माता–पिता या परिवार के पुरुष सदस्य बाल अधिकार संरक्षण में भूमिका करके सकरात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्रमुख रूप से पुरुषों की जिम्मेदार पिता के रूप में सोच और कार्य में सकारात्मक बदलाव को एक अभियान का स्वरूप देना प्रमुख मकसद है जो विभिनन क्षेत्रों के जवाबदेह नारीवादी, बाल अधिकार महिला अधिकार, मानवाधिकार एवं दलित अधिकारों से जुड़े कार्यकर्ता संगठन/संस्थायें/फोरम, मीडिया के लोग एवं प्रमुख अगुआकारों के माध्यम से युवाओं के समूहों के जरिए बदलाव लाए जा सकते हैं जिसमें युवा खुद अपनी सोच एवं व्यवहार में बदलाव लाकर परिवार तथा समुदाय में बदलाव के वाहक बन सकते हैं।

परन्तु विभिन्न हस्तक्षेपों को समझने की दृष्टि से बड़े समूह को तीन क्षेत्रवार उपसमूहों में बाँटकर निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई –

1. बाल अधिकार से जुड़े मुद्दे क्या हैं?

2. किस तरह के हस्तक्षेप चल रहे हैं?

3. बाल अधिकार व जेण्डर को प्रभावित करने वाली मान्यतायें या स्थानीय कथन क्या हैं?

तीन समूहों में से बघेलखण्ड ग्रुप, चम्बल बुन्देलखण्ड ग्रुप और भोपाल के आस–पास के सदस्यों के ग्रुप ने अपने–अपने समूहों में करीब 2 घंटे की वैचारिक साझेदारी की बघेलखण्ड, चम्बल और भोपाल के उपसमूहों को क्रमशः वीरेन्द्र राय, सतीश सिंह एवं शहबाज खान ने फेसिलिटेट किया। तीनों समूहों की रिपोर्ट निम्नानुसार थी –

बघेलखण्ड समूह –

बाल अधिकार से जुड़े मुद्दे क्या हैं?

1. लिंग अनुपात में कमी	2. सम्पत्ति मे अधिकार
3. लड़कियों की संख्या घट रही है	4. उत्तर जीविका के पहचान में कमी।
5. कुपोषण – लड़कियों में कुपोषण की संख्या ज्यादा।	6. मजदूरी में भेदभाव (महिला–पुरुष)
7. बच्चों में शिक्षा की कमी।	8. बाल श्रम
9. बाल विवाह	10. बाल यौन शोषण
11. किशोरियों में खून की कमी	12. बाल अपराध
13. लिंग चयन	14. बाल स्वास्थ्य की अनदेखी

हस्तक्षेप –

1. आँगनबाड़ी केन्द्र – ए.बी.एम. (एन.आर.सी.) 2. प्राथमिक पाठशाला एवं माध्यमिक शाला 3. शिक्षक एवं छात्र का अनुपात	6. किशोर न्याय अधिनियम 7. बाल सम्पेक्षण गृह 8. खेल–कूद की सुविधाएँ 9. स्वास्थ्य सुविधाएँ जैसे – जननी

असन्तुलित 4. गणवेश वितरण 5. मध्यान्य भोजन	सुरक्षा योजना आदि।

मान्यताएँ–

1. किशोर न्याय अधिनियम 2. बाल सम्पेक्षण गृह 3. खेल–कूद की सुविधाएँ 4. स्वास्थ्य सुविधाएँ जैसे – जननी सुरक्षा योजना आदि।	1. बालश्रम एवं शोषण 2. शिक्षा संबंधी मान्यताएँ 3. पालन–पोषण में मान्यताएँ "अगिला हर में चलिबे का"

चम्ब्ल / बुन्देलखण्ड समूह

मुद्दों की पहचान –

बाल मजदूरी –

• **बाल मजदूरी –** खतरनाक उद्योग ○ पटाखे, ईंट–भट्टा ○ आगे मोबाइल ○ बीड़ी उद्योग ○ कालीन उद्योग • गैर–खतरनाक	• घटता हुआ शिशु लिंगानुपात / लिंग असमानता • बाल विवाह • अनाथ बालक / बालिकाएँ • दहेज • शिखा

○ घरेलू ○ होटल ○ कृषि हॉकर्स • **ट्रेफिकिंग / पलायन** ○ देह व्यापार ○ घर में काम ○ भीख मांगना ○ अंग प्रत्यारोपण ○ तम्बाकू व तम्बाकू से बने उत्पादों एवं अन्य नशा उत्पादों को बेचना	• स्वास्थ्य • जल एवं स्वच्छता

हस्तक्षेप –

• बालश्रम अधिनियम • चाइल्ड लाइन • जे.जे. एक्ट • आर.टी.ई. • ट्रेफिकिंग • आई.सी.पी.एस. • सी.पी.ओ.	• बेटी बचाओ अभियान • घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम • मानव अधिकार आयोग • महिला अधिकार आयोग • दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम • बाल विवाह–रोकथाम अधिनियम • एन.सी.एल.पी. स्कूलों का संचालन

• किशोर न्यायालय • बाल कल्याण समिति • एम.टी.पी./पी.सी. – पी.एन.डी.टी. एक्ट • बाल अधिकार आयोग (मध्य प्रदेश) • बाल अधिकार आयोग (राष्ट्रीय)	• स्कूल/मिड–डे–मिल (शिक्षा) • आई.सी.डी.एस./हेल्थ • अनाथ आश्रम • सम्प्रेक्षण गृह

प्रभावित करने वाली सामाजिक मान्यताएँ –

- लड़का बुढ़ापे का सहारा है
- लड़की पराया धन है। परायी धरोहर।
- लड़का कुलदीपक है। वंश को आगे बढ़ाने वाला है।
- मोक्ष की प्राप्ति, अन्तिम संस्कार, पिण्ड दान।
- लड़की होगी तो सिर झुकाना पड़ेगा।
- महिला तो पैर की जूती है।
- चार लट्ठा का चौधरी, पाँच लट्ठा का पंच। जिनके घर हैः लट्ठा, वो अंच गिने ना पंच।
- जर, जोरू, जमीन जोर की। जोर नहीं तो कोई और की।
- पालन पोषण में भेदभाव
- मासिक–धर्म के समय– विभिन्न धारणाएँ।

भोपाल समूह

बाल अधिकारों से जुड़े मुद्दे क्या है?

- बच्चे को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखा जाता है।
- जन्म लेने से रोकना
- बच्चे कुपोषण का शिकार – विशेषरूप से बालिका कुपोषण का प्रतिशत अधिक है।
- बालिका यौन हिंसा, बालिका मानव तस्करी।
- बाल विवाह
- बाल मजदूरी
- बाल मृत्यु
- विकास के अवसरों में गैर बराबरी, पहुँच, शिक्षा, खेल, स्वतंत्रता, पालन–पोषण, स्वास्थ्य
- सहभागिता – परिवार में बच्चों की मुद्दों को नहीं सुनना, समाज, पंचायत

हस्तक्षेप

- कानून और योजना
- आयोग, हेल्पलाईन, बाल अधिकार समिति, संरक्षण गृह।

क्रियान्वयन की स्थिति

- सही क्रियान्वयन में कमी – गुणवत्ता नही।
- प्रचार–प्रसार नहीं
- प्रक्रिया जटिल, सोच व जवाबदेही में कमी।
    - एक तरफा प्रयास

- शासन संस्थायें, समुदाय में समन्वय की कमी।
- समुदाय की निगरानी नहीं है।
- बाल अधिकार व जेण्डर को प्रभावित मान्यताएँ

- **परिवार के स्वरूप में भेदभाव।**
  - बेटी पराया धन, चूल्हा फूंकना, कलेक्टर बन जाए का।
  - वंशज संचालन
  - बेटा मोक्ष दिलाने बाला
  - कंधा देने वाला
  - इज्जत
  - कन्यादान महादान, पूजन (बाल विवाह)
  - 5 साल तक खेल कूद करने की स्वतन्त्रता
  - 10–15 तक अनुसासित करो।
  - दोस्तों के रूप में व्यवहार करो।

तीनों समूहों से उभरे बिन्दुओं/मुद्दों को श्री सतीश सिंह ने समेटा जिससे निम्न तस्वीर उभरकर सामने आई –

- लड़कों के साथ यौनिक हिंसा को भी रेखांकित करना होगा
- बच्चों के साथ हिंसा न हो इसको केन्द्रित कर कोई योजना या कानून नहीं है इसके लिए जन पैरवी
- बात हम अधिकारों की करते हैं पर काम कल्याणकारी करते रहते हैं
- सारी रणनीति स्टेट पर या एक्टिविस्ट केन्द्रित है। पी.आर.आई., वी.ई.सी. आदि समुदाय आधारित संस्थायें और परिवार की जवाबदेही कहाँ है? पिता के रूप में क्या जवाबदेही है ...

- समायोजन या गठबंधन या साझा मंच जैसे नारीवादी, मानवाधिकार, बाल अधिकार, दलित अधिकार आदि के बीच समन्वयन नहीं हो पा रहा है जिस पर काम की जरूरत है।

- सामाजिक एवं सार्वजनिक जवाबदेही दोनों पर काम की जरूरत है।

- मध्य प्रदेश का बाल अधिकारों का इतिहास क्या है? (लिट्टेचर रिव्यू की जरूरत)

- साहित्यों का पुनरावलोकन)

- जिम्मेदार पिता के रूप में पुरुषों की भूमिका की वर्तमान तस्वीर को भी देखना जरूरी है।

इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर एवं समुदाय स्तर पर निम्न गतिविधियाँ हो सकती है।

राज्य स्तर

- कोर ग्रुप (राज्य स्तर)

- संदर्भ व्यक्ति की तैयारी

- पब्लिक जवाबदेही (मॉनीटरिंग)

- स्टेट के अन्दर का ज्ञान बाहर ले जाना और बाहर का ज्ञान स्टेट के अन्दर ले आना

समुदाय स्तर

- एन.जी.ओ. के खाँचे के अलावा और हितबद्ध (स्टेकहोल्डर) समूहों और लोगों को जोड़ने की जरूरत है।

- समुदाय स्तर पर जिम्मेदार पिता के रूप में पुरुषों को तैयार करने की प्रक्रिया की स्थापना एक प्रमुख कार्य होना पड़ेगा।

- अभियानों का संचालन (मुद्दा आधारित) तीनों समूहों की प्रस्तुतियों एवं उपरोक्त समावेशन के मध्य नजर मध्य प्रदेश में किस तरह की गतिविधियाँ चलाई जायेगी, समन्वयन का ढाँचा क्या होगा, राज्य स्तरीय समन्वय/गठबन्धन का नाम आदि पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए श्री देवेन्द्र भदौरिया जी को आमन्त्रित किया गया।

- बड़े समूह में सहभागी प्रक्रिया और चर्चा से राज्य स्तरीय निम्न मुद्दे उभरकर सामने आये जिन पर कार्य/अभियान की सहमति बनी

    - बच्चों के साथ हिंसा (लड़की–लड़के दोनों के साथ)
    - यौनिक हिंसा/यौन शोषण
    - लिंग अनुपात
    - लड़कियों के साथ भेदभाव
    - बाल विवाह

- अभियान को आगे ले जाने के लिए राज्य स्तर पर कोर ग्रुप का गठन कियाग या जिसका ढ़ाँचा निम्नानुसार तय किया गया –

संजयोजक (देवेन्द्र भदौरिया)

- भोपाल क्षेत्र –
    - प्रार्थना मिश्रा
    - डॉ. सेन
    - रेखा गुजरे

- बंघेलखण्ड –
    - अरुण त्यागी
    - सावित्री सिंह
    - सुशील

- बुन्देलखण्ड –

- राघवेन्द्र जी
- अजय जी
- समुदाय स्तर पर शिक्षा, पोषण/स्वास्थ्य तथा जेण्डर समानता के मुद्दे पर अभियान संचालन किया जाना तय किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :

  समयावधि : जनवरी/फरवरी, 2013

  अभियान तैयारी : दिसम्बर, 2012

मुद्दे :–

- ➢ समुदाय स्तर पर जिम्मेदार पिता के रूप में पुरुषों को तैयार करने की प्रक्रिया की स्थापना
- ➢ सामाजिक (सोशल) तथा सार्वजनिक (पब्लिक) जवाबदेही को सुनिश्चित करना
- ➢ समायोजन/गठबन्धन कार्य जैसे नारीवादी, मानवाधिकार, दलित अधिकार, बाल अधिकारों के बीच सम्बन्ध निर्माण एवं समन्वयन
- ➢ मध्य प्रदेश के संदर्भ में : शोध/अध्ययन (बाल अधिकारों के दायरे में – संस्कृति, वर्तमान स्तर/हस्तक्षेप/गैप आदि)
- ➢ सन्दर्भ व्यक्तियों को चिन्हित करना व उनकी क्षमता वृद्धि करना।

- राज्य स्तरीय नेटवर्क के नाम को लेकर चर्चा की गई जिसमें कई नाम आये जैसे–
  - ○ पितृत्व नेटवर्क/जिम्मेदार पितृत्व नेटवर्क
  - ○ जवाबदेह पितृत्व नेटवर्क
  - ○ रिस्पान्सिबल फादर फार इन्श्योरिंग चाइल्ड राइट्स
  - ○ फादर फार चाइल्ड राइट्स
  - ○ ग्रुप फार फादर केयर
  - ○ फोरम फार फादर केयर
  - ○ मेन्स एक्सन फार इनश्योरिंग चाइल्ड राइट्स

- मेन केयर
- मेन्स एक्सन फार इक्विटी

नौवें नाम को सर्व सम्मति से स्वीकृति दी गई। अतः 'मैन्स एक्शन फार इक्विटी" मध्य प्रदेश के नाम से नेटवर्क की बुनियाद रखी गई।

नेटवर्क के नाम के अलावा सामुदायिक अभियान को "बाल अधिकार संरक्षण के लिए पितृत्व अभियान" के नाम से चलाया जायेगा।

क्षमता सम्बर्द्धन

- राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिनांक 27 से 29 अक्टूबर 2012। निम्न लोगों की राष्ट्रीय क्षमता सम्वर्द्धन प्रशिक्षण में भागीदारी के लिए तय किया गया

  1. देवेन्द्र भदौरिया
  2. अरुण त्यागी
  3. सावित्री सिहं
  4. सुशील
  5. राघवेन्द्र
  6. प्रार्थना मिश्रा
  7. एच.बी. सेन
  8. रेखा गुजरे

- राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला

  प्रस्तावित समय : दिसम्बर (दूसरा सप्ताह) 2012 (15 दिसम्बर से 20 दिसम्बर 2012 तक)

  अभियान का विस्तार

  - विभिन्न साझीदार संगठनों ने अभियान को अपने क्षेत्रों में ले जाने के लिए प्रतिबद्धता जताई और निम्नानुसार क्षेत्र विस्तार तय किया –

1. **चम्बल/बुन्देल खण्डः 110 गांव –55000+5500 (Campaign + Phamplet)**

   गुना – 30 गाँव

   मुरैना – 40 गाँव

   टीकमगढ़ – 20 गाँव

   शिवपुरी– 20 गांव

2. **भोपाल क्षेत्रः100गांव व 20 शहरी –60000+6000(Campaign+ Phamplet)**

   छिन्दवाड़ा – 40 गाँव

   भोपाल – 20 शहरी बस्ती (प्रार्थना जी)

   `बेतूल – 40 गाँव (रेखा जी)

   रायसेन – 10 गाँव

   विदिशा– 10 गांव

3. **बघेल खण्डः 170 गांव– 85000+8500(Campaign + Phamplet)**

   सीधी – 40 गाँव

   सतना – 40 गाँव

   रीवा – 30 गाँव

   अनूपपुर – 40 गाँव

   शहडोल– 20 गांव

कुल गाँव 380 और शहरी बस्ती 20 (भोपाल)

इन निर्णयों के साथ पूरे दिन की चली चर्चा और मध्य प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण में पुरुषों की पिता के रूप में भूमिकाओं पर केन्द्रित अभियान की मजबूती और साझेदारी पूर्ण कार्य का आवाहन करते हुए श्री अरूण त्यागी जी ने सभी प्रतिभागियों का आभार ज्ञापित किया और बैठक समाप्ति की घोषणा की।